


न्यायालय अीमान् राजस्व मंडल खातिर मद्रास ।



विधि 3238/II/15

1- श्रीमती बेबा सुमतयण बानो रत्नी मोठ मोलीन निवासी ग्राम टिबुरा रघुनाथ गंज, तहसील मंगलगाँव जिला रोडा मद्रास ----- आवेदिता ।

बनाम
~~श्रीमती बेबा सुमतयण बानो~~ ~~रत्नी मोठ मोलीन~~ ~~निवासी ग्राम टिबुरा रघुनाथ गंज, तहसील मंगलगाँव जिला रोडा मद्रास~~
श्रीमती बेबा सुमतयण बानो रत्नी मोठ मोलीन निवासी ग्राम टिबुरा रघुनाथ गंज, तहसील मंगलगाँव जिला रोडा मद्रास ----- आवेदिता ।

वीरेंद्र कुमार् सिंह
उपस्थित
30-5-15

आवेदन पत्र बाबत विर जाने निष्पादन एवं कराए जाने गलत माननीय राजस्व मंडल खातिर के राठनि 0990795/3/07-08 गारित आदेश दिनांक 21-3-12 एवं अन्य अधीन न्यायालयों के आदेश का पालन तहसीलदार मंगलगाँव से कराया जाकर आवेदिता का नाम राजस्व अभिलेख करे पर करार मातृक भूमि स्वामी के रूप में नामान्तरण का आदेश प्रकाशित विर जाने हेतु ।

--- श्रीमती बेबा सुमतयण बानो रत्नी मोठ मोलीन निवासी ग्राम टिबुरा रघुनाथ गंज, तहसील मंगलगाँव जिला रोडा मद्रास ---
मंगलगाँव

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न है :-

1- यह कि आराजों करत राठ 693 कुल रकवा 0-44 एठ में से अंश रकवा 0-32 एठ रकवा ग्राम टिबुरा रघुनाथ गंज तहसील मंगलगाँव जिला रोडा की भूमि आवेदिता के जेठे पत्र एवं भू-स्वामित्व की भूमि है । उक्त भूमि पर आवेदिता का रीयसी भागान अर्थात कई वर्षों पूर्व से बना हुआ है और उक्त भूमि पर आवेदिता अपने दात-बच्चों को लेकर रहे रहते है । उक्त भूमि पर

2/52
30-5-15
मंगलगाँव

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक

विविध 3238-दो/15

जिला - सीवा

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि
के हस्ताक्षर

5.4.16

आवेदक के अधिवक्ता श्री बी० के० सिंह उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः उनका निवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण को आगे नहीं चलाने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।



सदस्य

